

समस्त,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्त हो चुका है। अभी तक किसी भी जोन द्वारा पुलिस कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टि/प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षर हेतु वाणिज्य कर, मुख्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों के पदोन्नति की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ०प्र० द्वारा सम्पादित करायी जा रही है, जिसमें पुलिस कर्मियों की वार्षिक प्रविष्टि/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की मांग उनके द्वारा समय-समय पर वाणिज्य कर मुख्यालय एवं सम्बन्धित जोन से भी की जा रही है।

कतिपय प्रकरण संज्ञान में आये हैं कि पुलिस कर्मियों के वाणिज्य कर विभाग से प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर मूल विभाग वापस हो जाने के उपरान्त भी उन्हें वार्षिक प्रविष्टि/प्रमाण पत्र प्रदान नहीं की गयी है। जिसके कारण लगभग 08 से 10 वर्ष पुराने मामलों में अब प्रविष्टि/प्रमाण पत्र की मांग पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि आप अपने-अपने जोन में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विवरण से सम्बन्धित एक मास्टर रजिस्टर, जिसमें पुलिस कर्मियों के नाम, पिता का नाम, पदनाम, पी०एन०ओ० नं०, मोबाइल नं०, गृह जनपद, गहन जनपद, जोन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जोन से अवमुक्त किये जाने की तिथि तथा जोन का नाम, कुल कितनी अवधि तक जोन में कार्यरत रहे तथा तैनाती अवधि की वार्षिक प्रविष्टि/ प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि उक्त अवधि में तैनात ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) का नाम आदि पूर्व से अब तक तैयार कराकर मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे पुलिस कर्मियों के सम्पूर्ण विवरण एवं वार्षिक प्रविष्टि/प्रमाण पत्र दिये जाने में कोई त्रुटि न होने पाये।

समसन्दर्भ में अनुरोध है कि अपने- अपने जोन में वर्तमान में कार्यरत, प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर मूल विभाग को वापस जा चुके तथा दूसरे जोनों में सम्बद्ध किये गये समस्त पुलिस कर्मियों की वर्ष-2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि/ प्रमाण पत्र चार-चार प्रतियों में तैयार कराकर एक-एक प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रख लें तथा तीन-तीन प्रतियाँ प्रति हस्ताक्षर हेतु मुख्यालय में तत्काल प्रेषित कराने का कष्ट करें। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित कराने का कष्ट करें कि अपने-अपने जोन में सम्बद्ध समस्त पुलिस कर्मियों को वार्षिक प्रविष्टि/ प्रमाण पत्र प्रदान कर दी गयी है, किसी भी पुलिस कर्मी को वार्षिक प्रविष्टि / प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना शेष नहीं है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के किसी अवधि में यदि आपके जोन में किसी भी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर की तैनाती न रही हो तो उस अवधि के वार्षिक प्रविष्टि / प्रमाण पत्र भी तीन-तीन प्रति में टंकित कराकर जिस अधिकारी के पास तत्समय ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) का चार्ज रहा हो उससे हस्ताक्षर कराकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०,

एडीशनल कमिश्नर (पुलिस) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

